

प्रारंभिक तौर पर लोहा, इस्पात, तिलहन एवं खाद्य तेल, पान मसाला तथा चाय पर लागू की जाना प्रस्तावित है।

5. पंजीयन व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिये पासवर्ड तथा पंजीयन क्रमांक को व्यवसाई को ईलेक्ट्रोनिकली भी सूचित किया जाना तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र को डाउनलोडेबल बनाये जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में लगभग 98 प्रतिशत से अधिक ई-पंजीयन जारी किये जाते हैं, इस हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मैनुअल पंजीयन प्राप्त करने पर रूपये 1,000 शुल्क निर्धारित है। ई-पंजीयन की लोकप्रियता को देखते हुये मैनुअल पंजीयन जारी करने की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त की जा रही है। वर्तमान में वेट अधिनियम के

अंतर्गत एक ही कार्य दिवस में पंजीयन जारी करने का प्रावधान है। वृत्तिकर अधिनियम एवं मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम में भी पंजीयन जारी करने हेतु एक कार्य दिवस की सीमा निर्धारित की जा रही है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रशासित समस्त विधानों के तहत पंजीयत व्यवसाईयों के लिये यूनिक आई.डी. (पंजीयन क्रमांक) की व्यवस्था की जा रही है।

6. समस्त पंजीयत व्यवसाईयों की डीलर प्रोफाईल बनाई जायेगी जिससे व्यवसाई स्वयं उनके द्वारा उपयोग में लाये गये विभिन्न फार्म की जानकारी, किये गये भुगतान एवं सूचना पत्र, कर निर्धारण आदेश इत्यादि की जानकारी को देख सकेगा, जो स्वतः प्रोफाईल में अपलोड हो जायेगी। यह व्यवस्था ई-मेल से भी भेजी जाने वाली व्यवस्था के अतिरिक्त होगी।


7. वर्तमान में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु टर्नओवर की सीमा 20 लाख रूपये है, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रूपये किया जा रहा है, इससे छोटे व्यवसाईयों को सुविधा होगी और वे वर्ष मे 4 विवरण पत्र के स्थान पर एक ही विवरण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

8. कर विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (निरसित), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (निरसित), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के वर्ष 2011-12 तक के लंबित कर बकाया राशि के मामलों में समाधान हेतु कर समाधान योजना लायी जाना प्रस्तावित है।


Citizen Charter - <http://www.mptax.mp.gov.in/>

Path : Home >> Departmental Information >> Citizen Charter

**Department of Commercial Tax**  
Government of Madhya Pradesh  
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)



**वाणिज्यिक कर विभाग**  
मध्य प्रदेश शासन  
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to New Version |  A-Z A A A

Site Search

---

**General** | **Acts** | **Citizen Charter** | **Statistics** | **Current News** | **Tenders/Offers**

You are here: [Home](#) >> Citizen Charter

सीटीजन चार्टर

क्र.सं.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	सहकारी / विहित अधिकारी	निर्धारित की समय सीमा	निर्धारित समयवधि में कामकाज प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत निराकरण हेतु समय सीमा
1	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना	वाणिज्यिक कर अधिकारी	1 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
2	उत्पादन प्रमाण पत्र में संशोधन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
3	कर समशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जाता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
4	घोषणा पत्र फार्म सी तथा फार्म एक जारी किया जाता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
5	प्रमाणित प्रतिनिधियों का प्रदाय:	वाणिज्यिक कर अधिकारी		सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
	(अ) सामान्य आवेदन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	4 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
	(ब) तुरत (अननस्ट)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
6	कारसी आदेश जारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त	60 दिन (कर निर्धारण आदेश के बाद)	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन

टीप.- यदि शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवधि में शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग के आयुक्त को आवेदन दिया जा सकता है। अथवा आवेदक मुख्यालय को सीधे ई-मेल [commissioner.ho@mptax.mp.gov.in](mailto:commissioner.ho@mptax.mp.gov.in) पर अपनी शिकायत कर सकेगा।

[Back](#)

**HELPSDESK NUMBER**

For website related queries, please call on this number during working hours between (10:30AM to 5:30PM) and email id for helpdesk is- [helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in](mailto:helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in)

0731-2434005

9425912502(SMS Only)

18002330440(Toll Free No)